(i) allocation of new blocks to the parties eligible to mine coal on the basis of a competitive bidding process:

(ii) the setting up an independent body to monitor, detailed and regional exploration of coal and lignite resources in the country; and

(iii) the establishment of a body which would perform an appellate function to resolve price disputes between producers and consumers.

A new central legislation for regulation of coal and lignite has been flet necessary because to provide for a competitive bidding process would require several amendments to the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and the rules issued thereunder. The MMRD Act is an Act for the general management of all minerals in the country with the exception of mineral oils. Large scale amendments to such an Act may therefore impinge on the structure evolved for the various other minerals also.

(b) These amendments would enable the more vigours exploration and exploitation of coal and lignite resources in a transparent manner. Increase in coal production would be of great help in strenghening the economy.

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति

3809. **श्री ईश दत्त यादव**:
श्री नागमणि:

क्या कोयला मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति के संबंध में शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तंत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमति कान्ति सिंह):

(क)से (घ) सामान्यत: उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें कोयले में अवशिष्ट सामग्री की विद्यमानता तथा अधिक आकार की आपूर्ति किए जा रहे कोयले के संबंध में है। इन शिकायतों की जांच प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर की जाती है तथा उपभोक्ताओं की शिकायतों को कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को कम करने के लिए कोयला कंपनियों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:- फीडर ब्रेकरों, की स्थापना, कोयले के लदान के समय पत्थरों का अलग करना, बेहतर पर्यवेक्षणा तथा लदान की गुणवत्ता हेतु उपभोक्ताओं को अपने प्रतिनिधियों को लदान स्थल पर तैंनात किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना।

Identification of coal mining blocks for investment by private sector

3810. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have identified some coal mining blocks in the country for possible investment by private sector and power users;

(b) if so, the details thereof;

(c) how many such blocks are in Maharashtra with details of each block;

(d) whether Government propose to allocate some of these blocks to Maharashtra State Electricity Board on priority; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) and (b) 56 coal mining blocks of Coal India Limited have been identified for offer to private and public sector companies and state power utilities for mining for captive consumption. The Company-wise break up and the quantity of estimated reserves of such coal blocks are as under:

Coal Companies	No. of blocks identified for captive mining (	Estimated Reserves in million tonnes)
Eastern Coalfields Ltd. (ECL)	9	4303
Central Coalfields Ltd.(CCL)	14	4576
Western Coalfields Ud.(WCL)	14	1265
Northern Coalfields Ltd. (NCL)	1	144
South Eastern Coalfields Ltd. (SECL)	5	3907
Mahanadi Coalfields Ltd. (MCL)	9	2455
Bharat Coking Coal Ltd. (BCCL)	4	2206
TOTAL	56	18856

(c) The details of the coal blocks in Maharashtra identified for mining for captive consumption are given below:

S.No.	Coalfield	Block	Estimated Reserves (in million tonnes)
1.	Wardha	Lohara East	57.21
2.	Wardha	Baranj 1 to 4	64.31
3.	Bander	Bander excluding Morpar Project	150.03
4.	Wardha	Lohara West	120.50
5.	Wardha	Manora II	50.00
6.	Wardha	Marki Mangli	34.34
7.	Wardha	Lohara Extn.	50.00
8.	Wardha	Takli-Jena-Bellora	90.00

(d) The MSEB has not so far filed any application seeking to mine coal.

(e) Does not arise in view of the answer to part (d) of the question.

राज्यों को कोयले का आवं

3811. **श्रीमती मालती शर्मा** : क्या कोयल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उद्योगों को आवंटित कोयले कि प्रतिशतता का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या कुछ उद्योगों को आवंटित मात्रा के अनुसार कोयला उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य के लिए कोयले के आवंटन के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए कोयले का राज्य-वार प्रेषण तथा विभिन्न उद्योगों को को.इ. लि. द्वारा किए गए प्रेषणों की प्रतिशतता का ब्योरा विवरण – I से III में दिया गया है । (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) साधारणतया विद्युत, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, रक्षा तथा रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले का पूरा कोटा मुहैया किया जाता है । गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति किए जाने को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होती है, जोकि कोयले की उपलब्धता,परिवाहन,संभार-तंत्र, इन उपभोक्ताओं को दी गई अंतर-प्राथमिकता के अनुसार स्रोतों तथा विशेष प्रकार के कोयले को उपभोक्ताओं द्वारा तरजीह देने पर आधारित होती है ।

(घ) औद्योगिक तथा अन्य गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति हेतु एक सुनिश्चित नीति का पालन किया जा रहा है । स्थापित संयोजनों तथा/अथवा प्रयोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रायोजनों के अनुसार विभिन्न राज्यों में स्थित कोयले वास्तविक उपभोक्ताओं को ही कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है ।

विवरण – I

वर्ष 1993-94 के दौरान हुए कोयले के राज्य-वार प्रेषण तथा कोयले के प्रेषणों का उद्योग-वार प्रतिशतता

राज्य	कुल प्रेषण टन ('000 टन में	निम्न उद्योगों को किए गए प्रेषणों की प्रतिशतता							
		इस्पात	विद्युत	सीमेंट	उर्वरक	कागज	टी/ रेयन	कोक-भट्ठा	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	1374	-	25.94	42.00	-	25.52	-	-	6.54
केरल	236	-	-	14.41	-	54.66	-	-	30.93
मध्य प्रदेश	37288	10.52	71.27	8.05	-	0.86	1..33	-	9.97
महाराष्ट्र	27407	-	86.44	3.32	-	1.16	1.11	-	9.97
उड़ीसा	11015	23.09	12.78	2.15	6.57	4.31	0.23	-	50.87
पंजाब	8284	-	81.74	0.01	11.61	0.15	0.32	-	6.17